भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4272
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय की स्थापना

4272. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का है ताकि मुकदमों का शीघ्र निपटान किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्राम न्यायालयों के कार्यकरण के लिए और अधिक अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार और इसके उच्च न्यायालय के महापंजीयक से ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने और ग्राम न्यायालयों की अनुसूची में संशोधन करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, नागरिकों को उनके दहलीज पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य निःशक्ताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के निबंधनानुसार, इस अधिनियम द्वारा ग्राम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या जिले में मध्यवर्ती स्तर पर समीपस्थ पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां समीपस्थ ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी। अतः अधिनियम, राज्य के लिए यह अनिवार्य नहीं बनाता है कि वे ग्राम न्यायालय स्थापित करे। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार अपनी आवश्यकतानुसार अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के बारे में निर्णय लेना राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों का कार्य है।

विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, केंद्रीय सरकार ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती व्यय के लिए राज्यों को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है, जो प्रति ग्राम न्यायालय 18 लाख रु. की सीमा के अधीन है। केन्द्रीय सरकार इन ग्राम न्यायालयों के संचालन के लिए आवर्ती व्यय के लिए

भी सहायता प्रदान करती है जो पहले तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष प्रति ग्राम न्यायालय 3.20 लाख रु. की सीमा के अधीन है। आज तक, 15 राज्यों ने 488 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित करके ग्राम न्यायालय स्कीम को कार्यान्वित किया है जिनमें से स्कीम के प्रारंभ से अब तक 11 राज्यों में 313 कार्यशील हैं।

(ग) : केरल उच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार करने और उक्त अधिनियम की सुसंगत अनुसूची में संशोधन करने के लिए कतिपय सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर अभी निर्णय लिया जाना है।

****